<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>25.11.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने 22/11/2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत "फेयरप्ले" के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में डीमैट खाता होल्डिंग्स के रूप में चल संपत्ति और अजमेर (राजस्थान), कच्छ (गुजरात), दमन, ठाणे और मुंबई (महाराष्ट्र) में स्थित भूमि, फ्लैट और वाणिज्यिक गोदाम के रूप में अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं, जिनकी कीमत **219.66 करोड़ रुपये (लगभग)** है। यह कार्रवाई "फेयरप्ले" के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में की गई है, जो क्रिकेट/आईपीएल मैचों के अवैध प्रसारण और विभिन्न ऑनलाइन सट्टेबाजी गतिविधियों में शामिल था।

ईडी ने नोडल साइबर पुलिस, मुंबई द्वारा मेसर्स फेयरप्ले स्पोर्ट एलएलसी और अन्य के खिलाफ मेसर्स वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पर आईपीसी, 1860, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की विभिन्न धाराओं के तहत 100 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व की हानि (अपराध की आय) के लिए दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि कृष लक्ष्मीचंद शाह (फेयरप्ले के पीछे मुख्य व्यक्ति) ने "फेयरप्ले" के संचालन के लिए विभिन्न कंपनियों जैसे कि कुराकाओ में मेसर्स प्ले वेंचर्स एन.वी और मेसर्स डच एंटिलीज़ मैनेजमेंट एन.वी, दुबई में मेसर्स फेयर प्ले स्पोर्ट एलएलसी और मेसर्स फेयरप्ले मैनेजमेंट डीएमसीसी और माल्टा में मेसर्स प्ले वेंचर्स होल्डिंग लिमिटेड को पंजीकृत किया है। ईडी की जांच से पता चला है कि फेयरप्ले को मुख्य रूप से कृष एल शाह द्वारा उनके सहयोगियों जैसे कि सिद्धांत शंकरन अय्यर (उर्फ जो पॉल) जो फेयरप्ले के वित्तीय पहलुओं की देखरेख करते हैं, चिराग शाह और चिंतन शाह जो फेयरप्ले के तकनीकी और सॉफ्टवेयर विकास पहलुओं की देखरेख करते हैं, की सहायता से दुबई से संचालित किया जा रहा है। ईडी की जांच से पता चला है कि कृष एल शाह और उनके सहयोगियों ने अपराध की आय से या तो अपने नाम पर या अपने रिश्तेदारों/परिवार के सदस्यों के नाम पर कई चल और अचल संपत्तियां अर्जित की हैं।

इससे पहले, ईडी ने इस मामले में 12.06.2024, 27.08.2024, 27.09.2024 और 25.10.2024 को तलाशी अभियान चलाया था और विभिन्न चल संपत्तियों के साथ-साथ कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों को जब्त/फ्रीज किया था। इस मामले में अब तक कुल कुर्की और जब्ती की राशि **331.16 करोड़ रुपये (लगभग)** है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।